-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना बबेरू पुलिस द्वारा चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 02 महिला अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे मे चोरी के 14 हजार 100 रुपए बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा चोरी, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.02.2026 को थाना बबेरू पुलिस टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय चोर गिरोह की 02 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 23.02.2026 को थाना मरका क्षेत्र के टोड़ी पुरवा के रहने वाले बद्रीप्रसाद कस्बा बबेरू में 02 अज्ञात महिलाओं द्वारा बैग से 15000 रुपए चोरी होने के संबंध मे थाना बबेरु पर सूचना दी। जिसके सम्बन्ध में थाना बबेरू पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम मे आज दिनांक 25.02.2026 को थाना बबेरू पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान दोनों महिला अभियुक्तों को बांदा रोड़ बशीपुरवा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा पकड़ी गई अभियुक्ताओं से कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उन लोगों द्वारा आस-पास के जनपदों मे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में चोरी/टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस संबंध में गहनता से जांच की जा रही है कि इनके गिरोह में और कितने लोग सम्मलित हैं तथा इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जा रही है। अभिक्ताओं के कब्जे से चोरी के 14100 रुपए बरामद।

बरामदगी-

- 14100 रुपए (चोरी के)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मंजू पत्नी राजेश निवासी कड़िया सासी थाना बोधा जनपद राजगढ़(म0प्र0)।
2. रूबिना पुत्री रतन निवासी कड़िया सासी थाना बोधा जनपद राजगढ़(म0प्र0)।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 68/26 धारा 303(2)/95 बीएनएस थाना बबेरू जनपद बांदा।
- बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना बबेरू जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री रामेंद्र सिंह
2. कां0 नरेश अहिरवार
3. म0कां0 संध्या मौर्या